Toppersnotes®
Unleash the topper in you

REET

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा

Board of Secondary Education, Rajasthan (RBSE)

भाग - 5

Level - I

पर्यावरण अध्ययन

SIERRA INNOVATIONS

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	परिवार	1
2	सामाजिक बुराइयाँ	4
3	वस्त्र व आवास	8
4	प्रमुख उद्योग	11
5	राजस्थान की हस्तशिल्प कला	36
6	उपभोक्ता जागरूकता	44
7	सहकारिता	46
8	हमारी सभ्यता एवं संस्कृति	48
9	राष्ट्रीय पर्व	49
10	राजस्थान के मेले और त्योहार	50
11	राजस्थान के आभूषण एवं वेशभूषा	62
12	राजस्थान स्थापत्य एवं शिल्प कला	68
13	प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व	91
14	राजस्थान में पर्यटन	106
15	राजस्थान के संत और लोक देवी – देवता	136
16	राजस्थान की चित्रकला	149
17	परिवहन	160
18	यातायात नियम, सड़क संकेत एवं मोटर वाहन अधिनियम	162
19	अपने शरीर की देख–भाल	168
20	सामान्य रोग	169
21	सन्तुलित भोजन	172
22	शरीर के आन्तरिक भाग की जानकारी	174
23	जीव एवं जगत	183

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
24	वन्यजीव एवं जैव विविधता चुनौतियाँ और संरक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दे या समस्याएँ	185
25	कृषि प्रमुख फसलें, उत्पादन व वितरण	207
26	प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं जल संरक्षण तकनीकें	215
27	ब्रह्माण्ड एवं सौरमंडल	231
28	भारत के अन्तरिक्ष यात्री	235
29	पर्वतारोहण	236
30	पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ	237
31	पर्यावरण शिक्षण शास्त्र	240
32	संकल्पना प्रस्तुतीकरण के उपागम	245
33	सतत् एवं समग्र मूल्यांकन	251
34	पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण–सहायक सामग्री	253
35	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	258

1 CHAPTER परिवार

- Family शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के Famulas से हुई है, जिसका अर्थ नौकर या सेवक होता है।
- ऐसा समूह जिसमें माता–पिता, बच्चें व नौकर शामिल हो परिवार कहलाता है।
- परिवार एक लघुत्तम इकाई है। परिवार समाज की केन्द्रीय इकाई है।

परिभाषाएँ

- **मैकाइवर एवं पेज** – ''परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन–पोषण करते हुए स्थायी यौन संबंधों पर आधारित है।''
- **क्लेयर** – ''माता–पिता और उनके बच्चों के बीच पाये जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते है।''
- **लूसी मेयर** – ''परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता–पिता और उनकी संतान रहते हैं।''
- **मजूमदार** – ''परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं।''

परिवार की विशेषताएँ

1. विवाह एवं यौन संबंध
2. वंशनाम की व्यवस्था
3. दीर्घकालीन संबंध/समूह
4. सदस्यों का उत्तर दायित्व
5. भावात्मक आधार
6. सामाजिक नियंत्रण
7. प्रजनन
8. आर्थिक बंधन

परिवार का वर्गीकरण

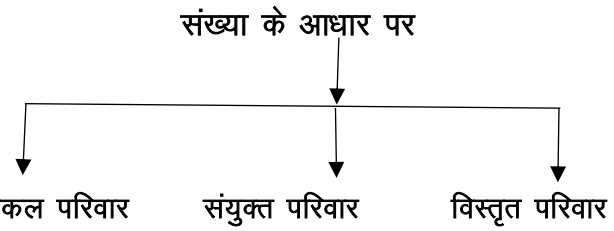

1. एकल परिवार/केन्द्रीय परिवार/नाभिक परिवार – वह परिवार जिसमें माता–पिता व अविवाहित बच्चे रहते हो एकल परिवार कहलाता है।

विशेषताएँ

(i) परिवार का सबसे छोटा रूप है।
(ii) बच्चे की आत्म निर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास है।
(iii) बच्चों में एकांकीपन की भावना का विकास हो जाता है।
(iv) कम आय में भी परिवार का संचालन किया जा सकता है।

एकल परिवार बनने के कारण –

(i) जनसंख्या में वृद्धि होना।
(ii) स्वतंत्र रहने की इच्छा।
(iii) सामाजिक बदलाव होना।
(iv) रोजगार या व्यवसाय के लिए प्रवजन।
(v) आर्थिक महत्व।
(vi) पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव।
(vii) गाँवों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन होना।

2. संयुक्त परिवार – वह परिवार जिसमें तीन या तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हो, संयुक्त परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार में परिवार का मुखिया सबसे बुजुर्ग होता है। के. एम. कपाड़िया ने इसे भारत की आदि परम्परा कहा है।

विशेषताएँ –

(i) बड़ा आकार।
(ii) सामान्य आवास।
(iii) सम्पत्ति के विभाजन का बचाव।
(iv) तीन पीढ़ियाँ एक साथ।
(v) संस्कृति की रक्षा।
(vi) राष्ट्रीय एकता एवं सेवा का भाव।
(vii) सामाजिक सुरक्षा।

सम्पत्ति के अधिकार की दृष्टि से दो भागों में बाँटा गया है –

(i) मिताक्षरा – यह परिवार विज्ञानेश्वर ने दिया। जिसमें सम्पत्ति पर अधिकार जन्म से ही होता है। यह पूरे भारत में पाया जाता है।

(ii) दायभाग – यह केवल बंगाल व उड़िसा में पाया जाता है। जिसमें सम्पत्ति पर अधिकार मुखिया के मरने के बाद मिलता है।

अधिकार के आधार पर

पितृसत्तात्मक
ऐसे परिवार जिसका मुखिया पुरुष हो।

मातृसत्तात्मक
• ऐसे परिवार जिसकी मुखिया वरिष्ठ महिला हो।

स्थान के आधार पर

मातृ व पितृ स्थानीय | द्वि स्थानीय | पितृ स्थानीय | मातृ स्थानीय | नव स्थानीय | मातुल स्थानीय

वंश के आधार पर

पितृवंशीय
• जिसका वंश का नाम पिता के अनुसार चलता हो।

मातृ वंशीय
• जिसके वंश का नाम माता के अनुसार चलता हो।

विवाह के आधार पर

एक विवाह परिवार

बहु विवाही परिवार

बहु पत्नी परिवार

बहुपति विवाह परिवार

Toppersnotes
Unleash the topper in you

समरक्त परिवार

- ऐसे परिवार जिसमें एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह रहे समरक्त परिवार कहलाता है। ये परिवार मालाबार के नायनरों परिवारों में पाया जाता है।
- अहोम आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया था।

बाल विवाह

- बालक व बालिकाओं के वयस्क होने से पूर्व ही शादी कर देना बाल–विवाह कहलाता है।
- प्रतिवर्ष राजस्थान में अक्षय तृतीया/पीपल पूर्णिमा पर बहुत अधिक बाल विवाह होते हैं।
- बाल विवाह रोकने के लिए अजमेर निवासी हरविलास शारदा ने 1929 में कानून बनाया जिसे शारदा एक्ट के नाम से 1 अप्रैल, 1930 में पूरे भारत में लागू किया गया। जिसमें लडके की उम्र 18 वर्ष व लडकी की उम्र 14 वर्ष रखी गयी।
- 1978 में इसमें संशोधन द्वारा बालिकाओं की विवाह की उम्र 18 वर्ष व लडकों की 21 वर्ष कर दी गयी है।

बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006

- इसे शारदा एक्ट के स्थान पर लागू किया गया।
- इस अधिनियम में दोषी सभी व्यक्तियों को 2 साल का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का जुर्माना।
- बाल विवाह को वयस्क होने के 2 साल के अन्दर व्यर्थ घोषित कर सकता है।
- वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के प्रयासों से 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रतापसिंह ने रोक लगाई।
- 1903 में अलवर रियासत ने सर्वप्रथम बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया।
- Age of Consent Act 1891, 19 मार्च, 1891 को लागू हुआ जिसमें लडकी के विवाह की आयु 12 वर्ष रखी गयी। जिसका बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया।
- 2021 में बाल विवाह अधिनियम में संशोधन कर लडकी के विवाह की उम्र 21/22 वर्ष करने व लडके की उम्र 24 वर्ष करने का प्रावधान है।
- घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू किया गया।
- दहेज प्रथा से संबंधित अनु. 340 बी दिया गया है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को किया गया। जैसे–जैसे समाज में शिक्षा का प्रसार होता जाएगा, वैसे–वैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ घटती जायेगी।

दुर्व्यसन (नशाखोरी, धूम्रपान)

तम्बाकू

- यह पादप सोलेनेसी प्रजाति का है जिससे हानिकारक एल्केलॉइड निकोटीन प्राप्त होती है।
- तम्बाकू से कैंसर होता है।
- CTRI (केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान आंध्रप्रदेश में स्थित है।)

धतूरा

- इसका वैज्ञानिक नाम – डटूरा स्ट्रोमोनियम है।

सिगरेट

- इसके धुएँ में पॉलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है जो केन्सर रोग उत्पन्न करता है।
- तम्बाकू निषेध कानून 1975 ।
- धूम्रपान निषेध अधिनियम 2 अक्टूबर, 2008 को लागू किया गया।
- 18 जुलाई, 2012 को राजस्थान में निकोटीन एवं तम्बाकू मिश्रित गुटखें के उत्पादन, भण्डारण, वितरण व विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया।
- 2007 में झुँझुनूँ देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर बना।

अफीम

- इसकी प्रजाति पेपेवरेसी है। इसे पोपी भी कहते है।
- इसके अधपके कच्चे फल को कैप्सूल व डोडा कहते है। डोडा से निकलने वाले दूध को लैटेक्स कहते है जो सूखने पर काला हो जाता है। इस कारण अफीम को काला सोना कहा जाता है।
- 5 अप्रैल, 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी की गई।

2 CHAPTER सामाजिक बुराईयाँ

बाल–श्रम का मतलब यह है कि जिसमे कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। इस प्रथा को कई देशो और अंतर्राष्ट्रीय संघठनो ने शोषित करने वाली प्रथा माना है। अतीत मे बाल श्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता था, लेकिन सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के साथ औद्योगीकरण, काम करने की स्थिति मे परिवर्तन तथा कामगारो श्रम अधिकार और बच्चो अधिकार की अवधारणाओ के चलते इसमे जनविवाद प्रवेश कर गया। बाल श्रम अभी भी कुछ देशो मे आम है।

बच्चो के अधिकार

यह अनुचित या शोषित माना जाता है यदि निश्चित उम्र से कम मे कोई बच्चा घर के काम या स्कूल के काम को छोड़कर कोई अन्य काम करता है। किसी भी नियोक्ता को एक निश्चित आयु से कम के बच्चे को किराए पर रखने की अनुमति नही है। न्यूनतम आयु देश पर निर्भर करता किसी प्रतिष्ठान मे बिना माता पिता की सहमति के न्यूनतम उम्र निर्धारित किया है।

औद्योगिक क्राति मे चार साल के कम उम्र के बच्चो को कई बार घातक और खतरनाक काम की स्थितियो के साथ उत्पादन वाले कारखाने मे कार्यरत थे। अंग्रेजी श्रमिक वर्ग का बनना, (पेंगुइन,), पीपी. अब अमीर देशो ने मजदूरो के रूप मे बच्चो के इस्तेमाल को समझा है और इस आधार पर इसे मानव अधिकार का उल्लंघन माना है और इसे गैरकानूनी घोषित किया है जबकि कुछ गरीब देशो ने इसे बर्दाश्त या अनुमति दी है।

बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चो के मजदूरी के सहारे हैं। कभी कभी ये ही उनके आय के स्रोत है। इस प्रकार का कार्य अक्सर दूर छिप कर होता है क्योंकि अक्सर ये कार्य औद्योगिक क्षेत्र मे नही होते है। बाल श्रम कृषि निर्वाह और शहरो के अनौपचारिक क्षेत्र मे कार्यरत है, बच्चो के घरेल काम मे योगदान भी महत्वपूर्ण है। बच्चो को लाभ मुहैया कराने के लिए, बाल श्रम निषेध को दोनो अल्पावधि आय और दीर्घावधि संभावनाओ के साथ दोहरी चुनौती से निपटने के लिए काम करना है। कुछ युवाओ के अधिकार के समूहो यद्यपि, एक निश्चित आयु से नीचे के बच्चे को काम करने से रोक कर, बच्चो के विकल्प कम करने को मानव अधिकारो का उल्लंघन मानते है। ये महसूस करते है कि ऐसे बच्चे पैसे वालो के इच्छा के अधीन रहते है। बच्चे की सहमति या काम करने से करते हैं, उनमे आम तौर पर गरीबी पहला है। लेकिन इसके बावजूद जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनो का लागू नही होना, बच्चो को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छक माता–पिता (वे अपने बच्चो को स्कूल की बजाय काम पर भेजने के इच्छुक होते हैं, ताकि परिवार की आय बढ़ सके) जैसे अन्य कारण भी हैं। और यदि एक परिवार के भरण–पोषण का एकमात्र आधार ही बाल श्रम हो, तो कोई कर भी क्या सकता है।

यदि हम बाल श्रम को सिर्फ मजदूरी कमाने वाले काम के रूप मे परिभाषित करे तो सरकारी अनुमान के अनुसार भारत मे बाल श्रमिको की संख्या 1 करोड़ 70 लाख है। स्वतंत्र रूप से किये गये अनुमान, जो मोटे तौर पर यही परिभाषा स्वीकार करते है, मानते है कि यह संख्या 4 करोड़ है। लेकिन यदि स्कूल से बाहर के सभी बच्चो को बाल श्रमिक माना जाये तो यह संख्या करीब 10 करोड़ होगी।

भारत मे बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून

भारत का संविधान (26 जनवरी 1950) मौलिक अधिकारो और राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत की विभिन्न धाराओ के माध्यम से कहता है–

14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान मे काम करने के लिए नियुक्त नही किया जायेगा और न ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन मे नियुक्त किया जायेगा (धारा 24)।

राज्य अपनी नीतिया इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषो और महिलाओ का स्वास्थ्य तथा उनकी क्षमता सुरक्षित रह सके और बच्चो की कम उम्र का शोषण न हो तथा वे अपनी उम्र व शक्ति के प्रतिकूल काम मे आर्थिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए प्रवेश करे (धारा 39–ई)। बच्चो को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति मे विकास के अवसर तथा सुविधाएं दी जायेंगी और बचपन व जवानी को नैतिक व भौतिक दरुपयोग से बचाया जायेगा (धारा 39–एफ)।

संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर राज्य 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चो को मफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे (धारा 45)।

बाल श्रम एक ऐसा विषय है, जिस पर संघीय व राज्य सरकारें, दोनो कानन बना सकती हैं। दोनो स्तरो पर कई कानून बनाये भी गये हैं।

- बाल श्रम (निषेध व नियमन) कानून 1986– यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को 13 पेशा और 57 प्रक्रियाओ में, जिन्हे बच्चो के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, नियोजन को निषिद्ध बनाता है। इन पेशाओ और प्रक्रियाओ का उल्लेख कानन की अनुसूची मे है।
- फैक्टरी कानून 1948 – यह कानून 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के नियोजन को निषिद्ध करता है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्टरी मे तभी नियुक्त किये जा सकते हैं, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून मे 14 से 18 वर्ष तक के बच्चो के लिए हर दिन साढ़े चार घंटे की कार्यावधि तय की गयी है और रात मे उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

बाल मजदूरी रोकने हेत एम.वी.एफ मॉडल

एम.वी.एफ बुनियादी बातो से शुरू करता है। वह मानता है कि बाल श्रम से निपटने का एक मात्र रास्ता यह है कि पालको के मन मे शिक्षा के जरिये अपने बच्चो का भविष्य बेहतर बनाने की जो इच्छा है उसका उपयोग किया जाये। उसका विश्वास है कि किसी बच्चे/बच्ची को काम से हटाने और स्कूल मे प्रवेश दिलाने के किसी भी कार्यक्रम का शुरुआती कदम यह होना चाहिये कि समुदाय के भीतर यह भावना भर दी जाये कि किसी भी बच्चे को काम नही करना चाहिये। समुदाय से जूझने का मतलब सिर्फ पालको से निपटना नही है बल्कि इसका संबंध सभी प्रकार के लोगो से है, जिनमे नियोक्ता, मत बनाने वाले, स्थानीय निकायो के निर्वाचित प्रतिनिधि, समुदाय के बुजुर्ग, स्थानीय युवा, शिक्षक आदि भी आते हैं। इसमे समुदाय के इन सभी सदस्यो को बाल श्रम के मुद्दे के बारे मे सवेदनशील बनाया जाता है और यह बताया जाता है कि वे किस तरह बाल श्रम को बनाये रखने मे योगदान देते हैं। इसमे समुदाय को इस बात के प्रति भी संवेदनशील बनाया जाता है कि बाल श्रम खत्म होने से सिर्फ पालको या खुद बच्चो को ही फायदा नही होता बल्कि समुदाय को भी फायदा होता है।

बाल विवाह

बाल विवाह का सम्बन्ध आमतौर पर भारत के कुछ समाजो मे प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओ से जोड़ा जाता है, जिसमे एक युवा लड़की (आमतौर पर 15 वर्ष से कम आयु की लड़की) का विवाह एक वयस्क पुरुष से किया जाता है। बाल विवाह की दूसरे प्रकार की प्रथा मे दो बच्चो (लड़का एवं लड़की) के माता–पिता भविष्य मे होने वाला विवाह तय करते हैं। इस प्रथा मे दोनो व्यक्ति (लड़का एवं लड़की) उनकी विवाह योग्य आयु होने तक नही मिलते, जबकि उनका विवाह सम्पन्न कराया जाता है। कानन के अनुसार, विवाह योग्य आयु पुरुषो के लिए 21 वर्ष एव महिलाओ के लिए 18 वर्ष है। यदि किसी का कोई भी साथी इससे कम आयु मे विवाह करता है, तो वह विवाह को अमान्य निरस्त घोषित करवा सकता/सकती है।

विभिन्न राज्यो मे अठारह वर्ष से कम आयु मे विवाह

- आन्ध्र प्रदेश – 71 प्रतिशत
- बिहार – 67 प्रतिशत
- मध्य प्रदेश – 73 प्रतिशत
- राजस्थान – 68 प्रतिशत
- उत्तर प्रदेश – 64 प्रतिशत

बाल विवाह के कारण

- गरीबी
- लड़कियो की शिक्षा का निचला स्तर
- लड़कियो को कम रुतबा दिया जाना एवं उन्हे आर्थिक बोझ समझना
- सामाजिक प्रथाएं एवं परम्पराएं

बालविवाह के दुस्परिणाम

- बालविवाह के केवल दुस्परिणाम ही होते है जीने सबसे घातक शिश व माता की मृत्यु दर मे वृद्धि शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नही हो पता है
- और वे अपनी जिम्मेदारियो का पूर्ण निर्वेहन नही कर पाते है और इनसे एच.आई.वि. जेसे यौन सक्रमित रोग होने का खतरा हमेशा बना रहता है ।

<u>बाल विवाहः</u> उन्मूलन हेतु सरकार व गैर सरकारी संस्थाओ की पहल

- बाल विवाह के विरुद्ध कानूनो का निर्माण
- लड़कियो की शिक्षा को सुगम बनाना
- हानिकारक सामाजिक नियमो को बदलना
- सामुदायिक कार्यक्रमो को सहायत
- विदेशी सहायता अधिकतम करना युवा महिलाओ को आर्थिक अवसर प्रदान करना
- बाल वधुओ की विरले जरूरतो को पूरा करना
- कार्यक्रमो का आकलन कर देखना कि क्या बात असरदार होगी

<u>सरकार की पहल</u>

- बाल विवाह निरोधक कानून
- बाल विवाह प्रथा रोकने के प्रयास मे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश राज्यो ने कानून पारित किए है जो प्रत्येक विवाह को वैध मानने के लिए उसका पंजीकरण आवश्यक बनाते हैं।
- बच्चो के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005" के अनुसार (भारत के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रकाशित) 2010 तक बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बाल विवाह को रोकने हेत उपाय

बालविवाह रोकने हेतु कुछ उपाय हो सकते है जैसे–

1. समाज मे जागरूकता फैलाना
2. मीडिया इसे रोकने मे प्रमुख भागीदारी निभा सकती हैं।
3. शिक्षा का प्रसार
4. गरीबी का उन्मूलन
5. जहा मीडिया का प्रसार ना हो सके वह नुक्कड़ नाटको का आयोजन करना चाहिए।

दहेज प्रथा

भारतीय समाज मे अनेक प्रथाएं प्रचलित है । पहले इस प्रथा के प्रचलन मे भेंट स्वरूप बेटी को उसके विवाह पर उपहारस्वरूप कुछ दिया जाता था परन्तु आज दहेज प्रथा एक बुराई का रूप धारण करती जा रही है । दहेज के अभाव मे योग्य कन्याएं अयोग्य वरो को सौंप दी जाती है। लोग धन देकर लड़कियो को खरीद लेते है । ऐसी स्थिति मे पारिवारिक जीवन सुखद नही बन पाता । गरीब परिवार के माता–पिता अपनी बेटियो का विवाह नही कर पाते क्योंकि समाज के दहेज–लोभी व्यक्ति उसी लड़की से विवाह करना पसंद करते है जो अधिक दहेज लेकर आती है ।

हमारे देश मे दहेज प्रथा एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो महिलाओ के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वे मानसिक हो या फिर शारीरिक, को बढावा देता है. इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपनी चपेट मे ले लिया है. अमीर और संपन्न परिवार जिस प्रथा का अनुसरण अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते है वही निर्धन अभिभावको के लिए बेटी के विवाह मे दहेज देना उनके लिए विवशता बन जाता है. क्योंकि वे जानते है कि अगर दहेज ना दिया गया तो यह उनके मान–सम्मान को तो समाप्त करेगा ही साथ ही बेटी को बिना दहेज के विदा किया तो ससुराल मे उसका जीना तक दूभर बन जाएगा. संपन्न परिवार बेटी के विवाह मे किए गए व्यय को अपने लिए एक निवेश मानते है. उन्हे लगता है कि बहूमूल्य उपहारो के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह सीधा उनकी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा. इसके अलावा उनकी बेटी को भी ससुराल मे सम्मान और प्रेम मिलेगा

देश मे औसतन हर एक घंटे मे एक महिला दहेज संबंधी कारणो से मौत का शिकार होती है और वर्ष 2007 से 2011 के बीच इस प्रकार के मामलो मे काफी वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते है कि विभिन्न राज्यो से वर्ष 2012 मे दहेज हत्या के 8,233 मामले सामने आए। आकड़ो का औसत बताता है कि प्रत्येक घंटे मे एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है।

कानून

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन–देन मे सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
- दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498–ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारो द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओ के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।
- धारा 406 के अन्तर्गत लड़की के पति और ससुराल वालो के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं।
- यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियो मे मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304–बी के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारो को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है

चोरी

चोरी का तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति की सम्पति को उस व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति के बिना गैर कानूनी रूप से लेना है । इसे 'Crime Against Property' का संक्षिप्त रूप भी कहा जाता है । जो चोरी करता है, उसे चोर कहा जाता है । चेारी मे बैंक डकैती, इंटरनेट के माध्यम से दूसरे के खाते से बिना अनुमति के धन निकालना, डाटा चोरी आदि सभी षामिल है ।

चोरी के तत्व–

- अनाधिकृत रूप से किसी अन्य की सम्पति ले लेना
- इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को अपनी संपति से वंचित करना हो ।
- चोर के मन मे सम्पति चुराने की बेईमानी व बदनीयती हो । चोरी का मुख्य कारण गरीबी है । जब व्यक्ति के पास किसी चीज का अभाव हो और वह उसे प्राप्त करने मे किसी भी तरह सक्षम न हो सके तो वह उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए चोरी करने को प्रेरित होता है, लेकिन कई बार धीरे–धीरे यह घटना उस व्यक्ति की आदत बन जाती है । आदतन चोरी करने का अपराध करने लगता है ।

ऐसी स्थिति मे यह आवष्यक नही है कि वह गरीब हो तथा उसे वस्तु की सख्त आवष्यकता हो । वह महज आनन्द के लिए अथवा अधिकाधिक सम्पदा प्राप्त करने

के लिए चोरी करने लगता है चोरी को रोकने हेतु भारतीय दंड संहिता के अधीन प्रावधान बनाए गए है । चोरी भारतीय दण्ड संहिता के तहत एक दण्डनीय अपराध है । चोरी के कारण पीडित व्यक्ति को न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि मानसिक पीडा भी होती है । इसके कारण उसकी कडी मेहनत से जुटाई गई सम्पतिया चली जाती है । कई बार धन सम्पति चोरी चले जाने के कारण आवश्यक कार्य जैसे विवाह आदि मे भी अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है ।

- अनु. 23 – मानव बलात् श्रम निषेध
- अनु. – 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में नियोजन का प्रतिषेध

Toppersnotes
Unleash the topper in you

3 CHAPTER वस्त्र व आवास

वस्त्र

वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। अपने शरीर की सुरक्षा एवं व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए हम वस्त्र धारण करते हैं।

- मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास तीन प्रमुख हैं।
- जगत का हर व्यक्ति, अपने देश काल, परिस्थिति एवं ऋतुओं के अनुसार वस्त्र धारण करते हैं।
- विश्व में लोगों के पहनावे की भिन्न–भिन्न प्रवृत्ति देखने को मिलती हैं। पुरुष लोग धोती, कुर्ता, पायजामा, कमीज, पेंट, शर्ट, सिर पर साफा व धोती प्रकार में लूँगी भी पहनने के काम में लेते हैं।
- स्त्रियाँ साड़ी, सलवार, लूगड़ा, लहंगा, पेटीकोट, घाघरे, आंगी व जवान युवतियाँ कुर्ता–पायजामा, जीन्स टॉप आदि पहनती हैं।
- विभिन्न ऋतुओं में शरीर की आवश्यकता के अलग–अलग होने के कारण भिन्न–भिन्न ऋतुओं में भिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं। जो निम्न हैं –

(i) सर्दियो में पहने जाने वाले वस्त्र

- सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए गर्म व ऊनी भारी कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा रोधी होती है जो बाह्य ठण्ड से हमें बचाती है।
- सर्दियो में गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते है क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र ऊष्मा को अधिक अवशोषित कर हमें सर्दी से बचाने मे अहम योगदान देते हैं।
- ऊनी वस्त्रों के साथ रेशमी वस्त्र भी ऊष्मा रोधी होते हैं, जो हमें उष्णता प्रदान करते हैं अतः हमें सर्दियों के समय ऊनी व रेशमी वस्त्र धारण करने चाहिए।

सर्दियो में प्रमुख वस्त्र – स्वेटर, शॉल, टोपी, कोटी, मफलर।

(ii) गर्मियों मे पहने जाने वाले वस्त्र

- गर्मियों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं। इस ऋतु में शरीर से पसीना अधिक निकलता है। सूती वस्त्रों द्वारा पसीने को सोख लिया जाता है जिससे शरीर को ठण्डक पहुँचती है। अतः गर्मी में सूती वस्त्र पहनना अधिक सुखदायी होता है अतः हमें गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए।
- गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं जिससे गर्मी कम लगती है। अतः गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र आराम दायक लगते हैं।

भारत के विभिन्न राज्यों में पहने जाने वाले वस्त्र एक नजर में

हिमाचल प्रदेश के वस्त्र

सुथान/सुधान – पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला सूती पायजामा
तेपांग – पुरुषों की टोपी
लौंचारी – महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र
किरा – महिलाओं द्वारा कमर पर बाँधे जाने वाला वस्त्र
शहिदे – महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र
शानो, लिंगजिमा – टोपियों के प्रकार
लिंगयच, पट्टु – शॉल के प्रकार
रिगोया – पुरुषों का लम्बा ऊनी कोट
छुबा – पुरुषों का अचकन के समान ऊनी कोट
होजूक – महिलाओं का कुर्ता
गछांग – पुरुषों द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र

पंजाब के वस्त्र

शरारा – पंजाब में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र जिसे लांचा भी कहा जाता है।
फुलकारी – शॉल का प्रकार
टाम्बा/तहमत – पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली धोती

गुजरात के वस्त्र

पुरुषों के वस्त्र – अंगरखू/केडिया, फरहन, फेंटो, कफानी, चोरनोस
महिलाओं के वस्त्र – आथा/ कांजरी, चानियो, पोल्कू

लक्षद्वीप के वस्त्र

काची, थाटम – महिलाओं के वस्त्र

आसाम के वस्त्र

महिलाओं के वस्त्र – चादर, मेखला, मुगा, रिजाम्फाई, रिहा, फेफेक छुरा, चेखमचूस।
पुरुषों के वस्त्र – रिनसासो, फेटोंग, रिका, मिबु

अरूणाचल प्रदेश के वस्त्र

महिलाओं के वस्त्र – जैनसेम, किरशाह (सिर का वस्त्र), मुशाइम्स
पुरुषों का वस्त्र – मुकाक (कमर का वस्त्र)

जम्मू कश्मीर के वस्त्र

महिलाओं के वस्त्र – बुंरगा, तंरगा (सिर का वस्त्र), कुन्टोप्स
पुरुषों के वस्त्र – पठानी सूट, गोचा (भेड़ की खाल का बना वस्त्र)

मिजोरम के वस्त्र
महिलाओं के वस्त्र – डकमान्डा (कमर का वस्त्र), किरशाह (सिर का वस्त्र), पुआन चेई, ऐकिंग, टेपमोह

सिक्किम के वस्त्र
महिलाओं के वस्त्र – डुमड़यामा (साड़ी की तरह वस्त्र), पाचाउरी होजू, कुशेन, टारो पागडोन
पुरुषों का वस्त्र – थोकरू – डुम

घर पर वस्त्रो का रख रखाव
1. वस्त्रों को साफ सुथरा रखना
2. वस्त्रों को प्रेस करना
3. वस्त्रों की सुरक्षा

वस्त्रों की धुलाई – ड्राईक्लीन
चाय का धब्बा – नींबू या ग्लिसरीन
नीली स्याही – नमक और नींबू के रस से

- वस्त्रों की सफाई के लिए साबुन, डिटर्जेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है।
- वस्त्रों को ज्यादा मैले नहीं रखने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम बीमारी के शिकार हो सकते है।
- कपड़े की ड्राईक्लीनिंग में पानी के स्थान पर पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है।
- वस्त्रों के बटन सही से लगे हों व वस्त्रों के कहीं से भी फट जाने पर सिलाई कर लें ताकि वह और ना फटे।
- रेशमी वस्त्रों को पानी में भिगोकर ना रखें।

वस्त्रों की धुलाई

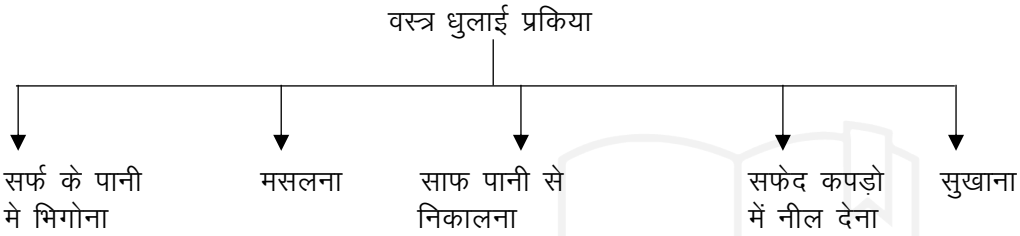

हथकरघा और पावरलूम
वस्त्र बनाने की पुरानी परम्परा रही है, जिसको बनाने के लिए विभिन्न सामग्री व तकनीकियों का प्रयोग किया जाता रहा है।
बाना – क्षैतिज दिशा में लगा धागा
ताना – लम्बवत् दिशा में लगा धागा

- सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए सर्वप्रथम 1940 में कदम उठाया।
  उद्देश्य – कारीगरों को स्थायीत्व देना
  विदेशी मुद्रा कमाने हेतु
- 1980, 1981, 1985 में कपड़ा नीति बनाई जिसमें हस्तकरघा क्षेत्र को प्रमुख बनाया।
- 2 अक्टूबर, 2005 – महात्मा गाँधी बुनकर योजना शुरू
  3 नवम्बर, 2005 – बुनकरों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू
  28 जून, 2006 – ''हैंडलूम मार्क'' की स्थापना।
- पावरलूम देश के कुल वस्त्र उत्पादन में 62% योगदान देता है।
- हमारे देश में लगभग 21.58 लाख पावरलूम है।
- ''टेक्नोलॉजी समुन्नयन फंड स्कीम'' Tues के तहत पावरलूम को आधुनिक बनाया जा रहा है।
- देश के प्रमुख पावरलूम समूह–
  सेलम, मदुरई, मोलापुर, भिवाड़ी, इरोड़, इचल करंजी, मालेगाँव, बुरहानपुर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, पानीपत, लुधियाना।
- बुनकरों को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए 1983 में नाबार्ड की स्थापना हुई।

आवास
- मानव दैनिक कार्य की समाप्ति पर रात्रि के समय सुरक्षित आवास की आवश्यकता के कारण आवास आवश्यक है।
- संसार के अधिकांश लोग प्राचीन काल में अब तक किसी–किसी समूह में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने रहने के लिए घर बनाकर अधिवास के लिए हमेशा प्रयत्न किया है।

आवास के प्रकार

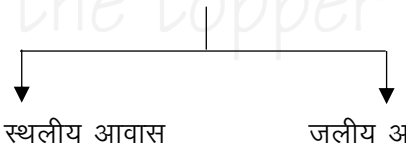

स्थलीय आवास
स्थल पर निवास करने वाले सभी जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है।
इसमें निम्न आवास शामिल हैं –
वनीय आवास, मरुस्थलीय आवास, पहाड़ी आवास, ध्रुवीय आवास घास भूमि में आवास।

- **वनीय आवास –** इस आवास में पेड़–पौधें दोनों पाये जाते हैं। ये जंगली जानवरों का आवास है।
- **मरुस्थलीय आवास** – यहाँ काँटेदार व मोटी माँसल युक्त पत्ती वाले पेड़–पौधें मिलते हैं।
  यहाँ ऊँट, कंगारू, चूहे आदि पाये जाते है।
- **घास भूमि आवास –** यहाँ लम्बी व मोटी घास पायी जाती है। यहाँ जेबरा, गजेला, हाथी, जिराफ, आदि मिलते हैं।

- **पहाड़ी आवास** – यहाँ भालू, याक, लोमड़ी मिलते हैं।
- **ध्रुवीय आवास** – यहाँ वर्ष भर बर्फ जमीं रहती है। यहाँ पाये जाने वाले जन्तुओं का शरीर फर युक्त होता है जिससे जन्तुओं की सर्दी में सुरक्षा होती है।
  यहाँ ध्रुवीय भालू, लोमड़ी, रेनडियर, स्नोगूज, खरगोश, भेड़, बाल्ड, ईगल देखने को मिलते हैं।
- **जलीय आवास** – जल मे निवास करने वाले जन्तुओंका निवास जलीय आवास कहलाता है।
  जलीय आवास के निम्न प्रकार है –
  1. **ताजा जलीय आवास** – नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने आदि।
  2. **तटवर्ती आवास** – यहाँ समुद्री जल व नदियों के ताजे जल का मिश्रण मिलता है।
  3. **समुद्री आवास** – इसमें व्हेल, मछली, कछुआ, समुद्री साँप आदि मिलते हैं।

जीवों मे विशिष्ट आवास

घोंसला – चिड़िया, कबुतर, कठफोड़ा, बुलबुल
बिल – सांप, चूहा, खरगोश, गोयरा, दीमक, मकोड़े
गुफा – शेर, भालू, लोमड़ी
पेड़ – बंदर, कौआ, तोता, कमेड़ी, कबुतर
जल – मछली, मगरमच्छ
छाता – मधुमक्खी, ततैया (टांटिया)
घर – चूहे, पालतू पशु (गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बाड़ा)

केनल	कुत्ता
शूकर शाला	सूअर
अस्तबल	घोड़ा
जल	मकड़ी
दड़बा	मुर्गी
पेड़ की कोटर	कंगारू

मानव आवास

आवास का तात्पर्य – ये मानव के रहने के लिए ईंट, पत्थर, कंकड़, संगमरमर, लकड़ी, गारे, गोबर का बना होता है। इसमें झोपड़ी से लेकर महल तक हो सकता है।

आवास की आवश्यकता

1. विश्राम के लिए
2. वस्तुओं को रखने व सम्पत्ति सुरक्षा हेतु
3. जंगली पशुओं, जीव जन्तुओं से सुरक्षा हेतु
4. गतिविधि संचालन हेतु

प्रमुख आवास

इग्लू – ये आर्कटिक क्षेत्र मे टुण्ड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्कीमों जनजाति का निवास है।

- ये लोग हड्डी, खाल, बर्फ से मकान बनाते हैं।
- ये रात्रि में रोशनी के लिए सील मछली की चर्बी का प्रयोग करते हैं।

ट्यूपिक – एस्कीमों जनजाति के ग्रीष्म कालीन आवास।
कू – भील जनजाति के आवास स्थल को कू कहते हैं।
टपरा – राजस्थान के आदिवासियों के सामान्य घर को टपरा/टापरा कहते हैं।
तिपी – अमेरिका के रॉकी पर्वत क्षेत्र में रेड इण्डियन लोगों द्वारा बिसन बैल के चमड़े व बाँसो से बने घर।
भाखर या ढाँचा – गरासिया जनजाति के घर।
युर्त – खिरगिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास। ये चमड़े के बने होते हैं।
चिकीज – अमेरिका में सेमिनोल इण्डियन द्वारा बनाये गये घर।
होगान – अमेरिका की आदिवासी जाति के घर।
ऑल – यूरोप के कबीलाई जनजातियों द्वारा लकड़ी व चमड़े द्वारा बनाया गया घर।
बंगाल ओराक/कालोम ओराक – संबाल जनजाति के आवास।
झोंपा – शुष्क व पश्चिम राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर।
खाइमस – बद्दू जाती के लोगों के तम्बू।
पड़वा – राजस्थान के मरुस्थल में बने घर।

भवन निर्माण सामग्री

पत्थर	सीमेंट	पनी	गोबर
ईंट	सरिया	लकड़ी	सेनेटरी सामान
भाट्टा	बजरी	लोहा	संगमरमर
बर्फ	बाँस	प्लास्टिक	एस्बेस्टस

आवास व निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता

1. पानी की नालियाँ साफ सुथरी ढकी हो।
2. घरों की व आस–पास की प्रतिदिन सफाई हो।
3. कमरों से प्रदुषित हवा निकालने के लिए रोशनदान बनाये जाएँ।
4. समस्त कुड़े–करकट को कचरा पात्र में डालें।
5. रसोईघर मे धुएँ की निकासी के लिए चिमनी की व्यवस्था की जानी चाहिए।
6. घरों में फिनाइल दवाइयों का प्रयोग कर सफाई की जाए।
7. कीटनाशकों, फिनाइल, बीएचसी पाउडर आदि का छिड़काव हो।
8. पानी की टंकियों की नियमित सफाई हो।
9. मृत जानवरों को जलस्त्रोत या बस्तियों से दूर गढ्ढे में दबा देना चाहिए।
10. बस्ती के चारों ओर वृक्ष लगाने चाहिए।
11. भारत सरकार ने 15 अगस्त, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम चालू किया जिसके बाद स्वच्छता में काफी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए।

4 CHAPTER

प्रमुख उद्योग

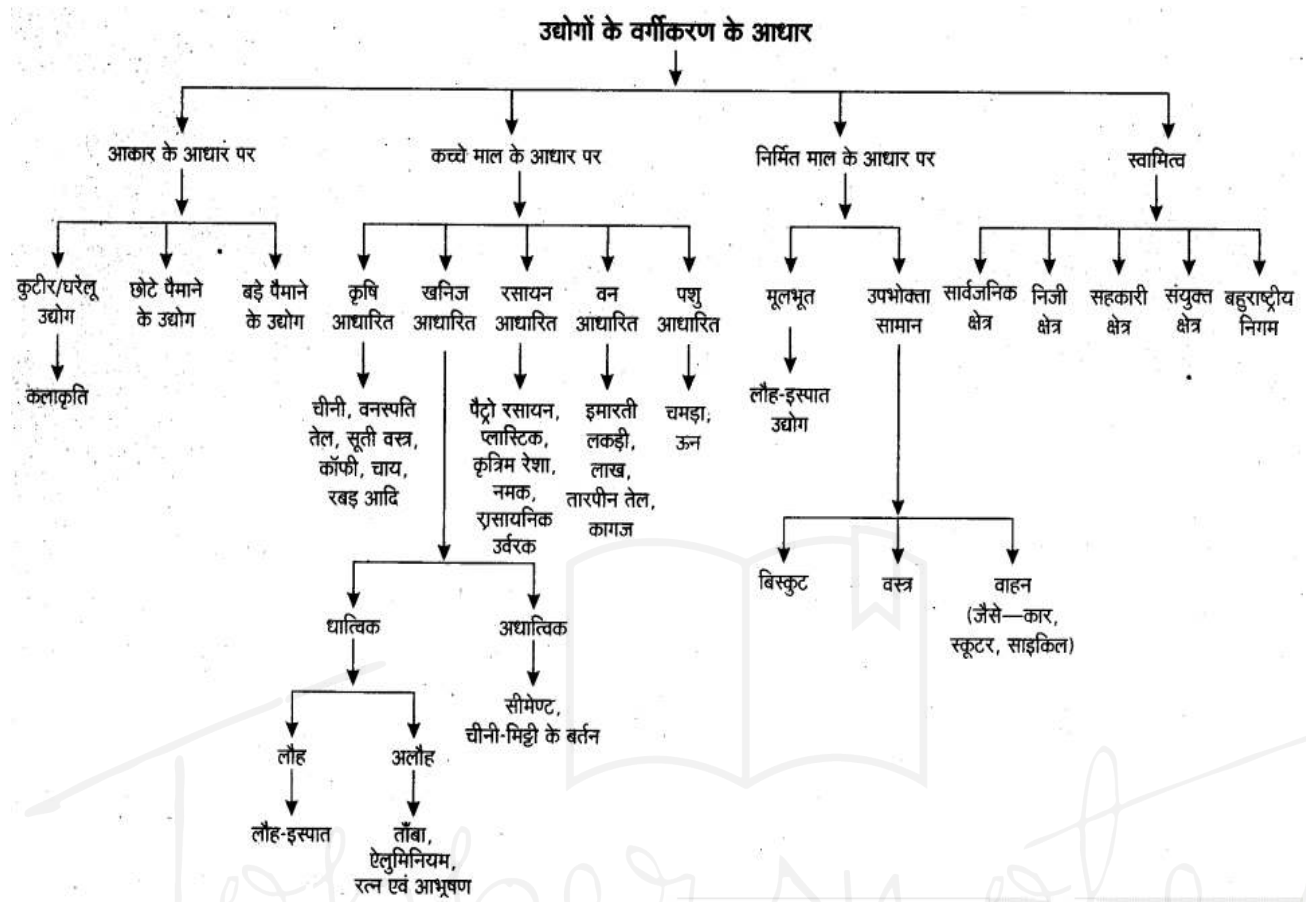

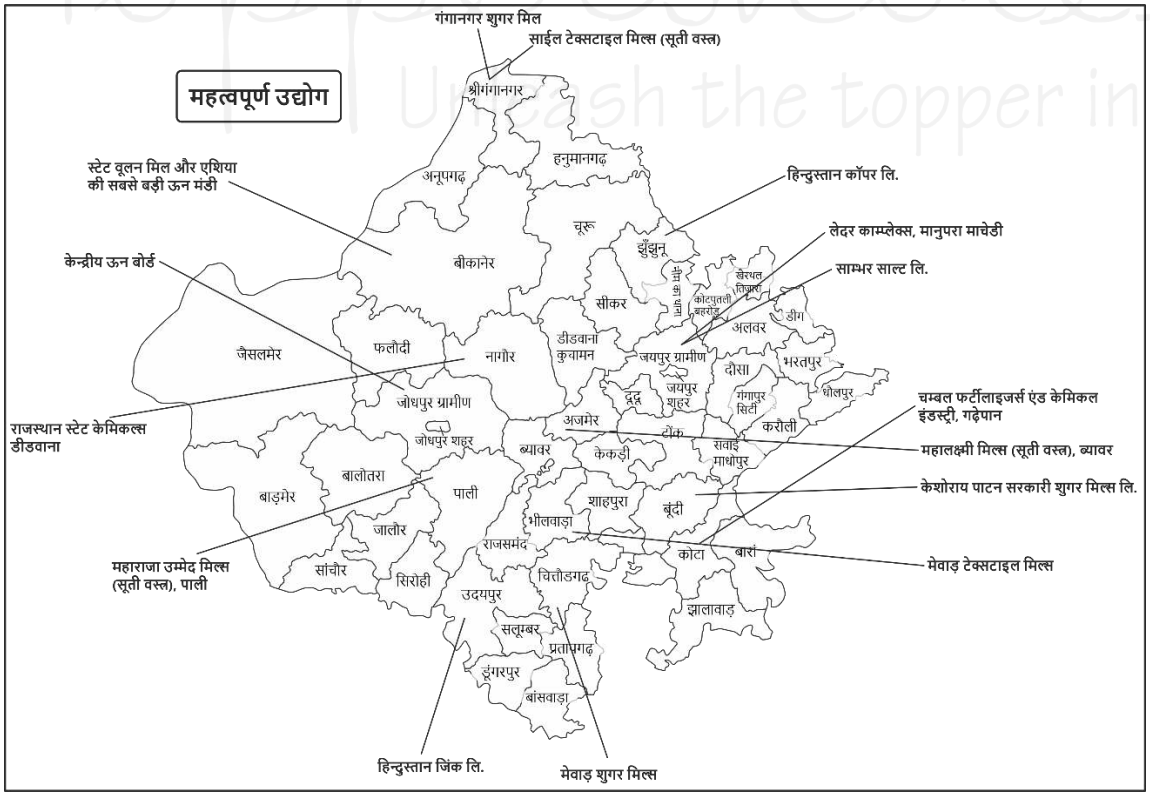

सीमेंट

- राजस्थान **सीमेंट** का सबसे **बड़ा उत्पादक** राज्य है।
- **कच्चा माल**- चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका।
- इस उद्योग के **स्थानीयकरण** की दृष्टि से **चित्तौड़गढ़** और **सवाई माधोपुर** जिलों में सर्वाधिक **अनुकूल परिस्थितियाँ** उपलब्ध हैं।
    - राज्य में **सीमेंट उद्योग** का प्रारंभिक **स्थानीयकरण पूर्वी** और **दक्षिण पूर्वी जिलों** बूँदी बूँदी, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में हुआ है, जहाँ चूना पत्थर की उपलब्धता है।
- पिछले कुछ वर्षों में, यह **उद्योग दक्षिण-पश्चिमी जिलों** विशेष रूप से **सिरोही**, **जोधपुर ग्रामीण** , **नागौर**, **पाली** और **जैसलमेर** में भी स्थानीयकृत हो गया है।
- राजस्थान के पश्चिमी जिले में नहर के **पानी** की **उपलब्धता** और **ऊर्जा** के **वैकल्पिक स्रोतों** से उत्पन्न ऊर्जा के कारण इस उद्योग का तेजी से **स्थानीयकरण** हुआ है।
- राजस्थान में **सबसे पहले सीमेंट कारखाने** की शुरूआत **1915** में **ए.सी.सी. कम्पनी** द्वारा लाखेरी (**बूँदी**) में स्थापना के साथ हुयी। (CET, RO/RO -2023)

सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारण

(RAS-M-2018)

- कच्चे मॉल की प्रचुर उपलब्धता
- ऊर्जा के संसाधनों की आसानी से
- उपलब्धता
- सस्ते श्रमिक का होना
- पूंजी की मात्र
- परिवहन के साधन
- बाजार की उपलब्धता
- सरकार की नीतिया

सीमेंट उद्योग में आने वाली समस्याएं

- कोयला आपूर्ति की समस्या
- बिजली की अपर्याप्त प्राप्ति
- पूंजी का अभाव
- अधिक उत्पादन लागत का होना
- बड़े एवं छोटे उद्योगों में प्रतिस्पर्धा
- सीमेंट के मूल्य एवं वितरण की निति में सरकारी हस्तक्षेप

राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन

(1 Grade Geo – 2022)

चित्तौड़गढ़	राजस्थान में **सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन** होता है। (RAS – 2003)
सिरोही	राजस्थान में दूसरे स्थान पर सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
गोटन, नागौर (Raj Police - 2022)	राजस्थान का **प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना** सन् **1984 में नागौर के गोटन** नामक जगह पर जे.के. बिरला व्हाइट सीमेंट कंपनी के द्वारा लगाया गया था।
खारिया खंगार, जोधपुर ग्रामीण	**राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट** का कारखाना जोधपुर जिले की खारिया खंगार नामक जगह पर स्थित है जिसकी **स्थापना सन् 1988** में **जे.के. बिरला व्हाइट** सीमेंट कंपनी के द्वारा की गई थी।
मांगरौल, चित्तौड़गढ़	यहा पर भी सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है।

राजस्थान के प्रमुख सीमेंट कारखाने

1. क्लिक निक्सन कंपनी	**स्थित- लाखेरी गाँव, बूँदी (राजस्थान)।** **स्थापना- सन् 1915 में।** **विशेषताएँ** • यह राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना है। • इस कारखाने में सीमेंट का उत्पादन सन् 1917 से प्रारम्भ हुआ।
2. जयपुर उद्योग लिमिटेड	**स्थित- सवाई माधोपुर** **स्थापना- सन् 1953 में।** **विशेषता-** • यह राजस्थान का दूसरा सीमेंट कारखाना है।
3. जे.के. सीमेंट कारखाना	**स्थित- निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)** **स्थापना- सन् 1974** **विशेषताएँ** • उत्पादन की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है।
4. श्रीराम सीमेंट कारखाना	**स्थित- रामनगर, कोटा (राजस्थान)** **विशेषता-** • उत्पादन की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे छोटा सीमेंट कारखाना है।
5. बिनानी सीमेंट लिमिटेड	**स्थित- पिडवाड़ा, सिरोही (राजस्थान)**
6. गुजरात अम्बुजा सीमेंट कारखाना	**स्थित- पाली (राजस्थान)**
7. मंगलम सीमेंट लिमिटेड-	**स्थित- मोडक, कोटा (राजस्थान)**
8. श्री सीमेंट कारखाना	• स्थित- ब्यावर, (राजस्थान)
9. आदित्य बिरला सीमेंट कारखाना	• स्थित- खारिया खंगार, जोधपुर ग्रामीण (राजस्थान)

10. चेतक सीमेंट कारखाना-	• स्थित- चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
11. अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना-	• स्थित- चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
12. लाफार्ज सीमेंट कारखाना	• स्थित- चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)
13. बांगड़ सीमेंट कारखाना-	• स्थित- पाली (राजस्थान) स्थापना- सन् 1996
14. ए.सी.सी. लिमिटेड-	• स्थित- लाखेरी, बूँदी (राजस्थान)। (2nd Grade SST – 2023)

सूती वस्त्र उद्योग

- सूती वस्त्र **राजस्थान** का परम्परागत एवं **प्राचीनतम उद्योग** है। (Evaluation officer -2020)
- राज्य में ग्रामीण जनसंख्या को **रोजगार उपलब्ध** करवाने वाला यह **प्रमुख निर्माण उद्योग** है।

निजी क्षेत्र की टेक्सटाइल मिल्स
- श्री महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर
- सार्दुल टेक्सटाईल लिमिटेड, श्रीगंगानगर
- मेवाड़ टेक्साटाईल्स मिल्स, भीलवाड़ा (FSO – 2023)
- महाराजा उम्मेद मिल्स, पाली

- राजस्थान में **प्रथम सूती वस्त्र कारखाना** दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर में सन् 1889 में सेठ दामोदर दास व्यास द्वारा निजी क्षेत्र में **स्थापित** की गई थी।

(PTI -2nd -2022, PTI 3rd Grade – 2023, CET -2023)

- ब्यावर में ही **1906** में **एडवर्ड मिल्स लिमिटेड** के नाम से दूसरी तथा **1925** में श्री **महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड** के नाम से **तीसरी सूती वस्त्र मिल** की स्थापना की गई।
- आजादी से पूर्व **भीलवाड़ा** में मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स 1938 में **पाली** में 1942 में महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड तथा सन् 1946 में गंगानगर में सार्दुल टेक्सटाइल्स लिमिटेड स्थापित की गई थी। (CET – 2023)

सूती वस्त्र उद्योग के विकास एवं स्थानीयकरण के कारक और समस्याएं
- कच्चा माल - कपास की उपलब्धता
- अनुकूल जलवायु अर्थात नम जलवायु
- जल की उपलब्धता
- शक्ति के साधन
- सस्ते श्रमिक
- बाज़ार की समीपता
- पूँजी का अभाव
- नवीनतम मशीनों का अभाव

- राजस्थान की **सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल** महाराजा **उम्मेद मिल** है।
- **मिलें** - किशनगढ़, विजयनगर, गुलाबपुरा, जयपुर, भवानी मण्डी, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, बाँसवाड़ा आदि।
- **भीलवाड़ा** - राजस्थान का मेनचेस्टर व वस्त्र नगरी । (REET L1- 2022, EO/RO -2023)
  - **राज्य की प्रमुख सूती वस्त्र मिलें -** राजस्थान स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
  - सार्दुल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, श्रीगंगानगर
  - कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर (Raj Police – 2020)
  - श्री महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर
  - एडवर्ड मिल्स, ब्यावर
  - आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़ (अजमेर),
  - मेवाड़ टेक्साटाईल्स मिल्स, भीलवाड़ा,
  - महाराजा उम्मेद मिल्स, पाली
  - राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स, भवानीमण्डी
  - राजस्थान कॉपरेटिव मिल्स, गुलाबपुरा
  - विजयनगर कॉटन मिल्स, विजयनगर (ब्यावर)
  - बाँसवाड़ा सिन्टेक्स, बाँसवाड़ा
  - मयूर मिल्स लिमिटेड, बाँसवाड़ा
- राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड, ऋषभदेव।
- **वर्तमान** में अधिकांश **नवीन सूती वस्त्र मिल** राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम लिमिटेड की सहायता से शुरू की गई है।

ऊन उद्योग

- बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है तथा यहाँ पर ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी स्थित है। (CET -2023)
- केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर में स्थापित किया गया।
- केंद्रीय ऊन अनुसन्धान केंद्र मालपुरा (टोंक) में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा अनुसन्धान केंद्र है।
- **ऊन उद्योग की इकाइयाँ –**
  - स्टेट वुलन मिल्स, बीकानेर में
  - वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, चूरू में
  - विदेशी आयात-निर्यात संस्थान, कोटा में
  - वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स, लाडनूं में
  - जोधपुर ऊन फैक्ट्री, जोधपुर में।

चीनी उद्योग

- राजस्थान की पहली चीनी मिल '**दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड**' है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के भोपालसागर में 1932 में स्थापित की गयी। यह निजी क्षेत्र की मिल है। (LDC -2012)
- '**गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड**' की स्थापना गंगानगर जिले में 1937 में '**बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड**' के नाम से स्थापित की गयी। (CET – 2023, Raj PSI – 2021)
- **केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स** की स्थापना 1965 में केशोरायपाटन (बूँदी) में की गयी, जो वर्तमान में बंद पड़ी है।
- **उदयपुर शुगर मिल** की स्थापना 1976 में निजी क्षेत्र में की गयी।
- राजस्थान का चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग श्रीगंगानगर में स्थित है!

काँच उद्योग

- **'धौलपुर ग्लास वर्क्स'** धौलपुर में निजी क्षेत्र में स्थापित कारखाना है।
- **'दी हाई टेक्नीकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स'** एक सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है, जो गंगानगर शुगर मिल में स्थापित है।
- **'सेमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज'** कोटा में स्थापित कारखाना है, जहाँ से सैमसंग कम्पनी द्वारा टीवी की पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है।
- **'सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री'** कहरानी क्षेत्र भिवाड़ी (अलवर) में स्थापित है।
- इसका शिलान्यास 25 अगस्त, 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया।

डेयरी उद्योग

- डेयरी फार्मिंग भारत में छोटे व बड़े दोनों स्तर पर सबसे ज्यादा **विस्तार** में फैला हुआ **उद्योग** है।
- दुग्ध उत्पादन ने हमारे राज्य की **अर्थव्यवस्था** में बड़े स्तर पर **भागीदारी** है।
- यह **पर्यावरण** के **अनुकूल व्यवसाय** है, जो वातावरण को कभी भी **प्रदूषित नहीं** करता है।
- इसे परिवार में **कम पूँजी** से छोटे स्तर पर भी आसानी से **स्थापित** किया जा सकता है।
- राजस्थान में **डेयरी विकास कार्यक्रम** को गति देने के लिए सन् **1973** में **डेयरी विभाग** की **स्थापना** की गई।
- वर्तमान में इसके लिए **राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड** की स्थापना की गई।
- दूध और दूध से मावा, पनीर, घी बनाने का कार्य पोकरण, फलौदी, जोधपुर, रानीवाड़ा, बज्जू, लूणकरणसर, सूरतगढ़, अलवर, जयपुर, अजमेर, फालना, भीलवाड़ा, उदयपुर इत्यादि **केन्द्रों** पर किया जाता है।
- गाँवों में दुग्ध संग्रह का कार्य **सहकारी समितियों** द्वारा किया जा रहा है।
- सन् **1970** में देश के अन्य राज्यों के साथ राजस्थान में **'ऑपरेशन फ्लड** शुरू किया गया।
- **राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ** (राजफैड) द्वारा **झोटवाड़ा**, जयपुर में **पशु आहार फैक्ट्री** स्थापित की गयी है, जो पशुओं हेतु **उत्तम प्रकार का पशु आहार** उपलब्ध कराता है।

कुटीर उद्योग

- कुटीर उद्योग उन उद्योगों का **सम्मिलित** नाम है, जिनके अन्तर्गत **कुशल कारीगरों** द्वारा **कम पूँजी** एवं अधिक **कुशलता** से अपने हाथों के माध्यम से **वस्तुओं** का **निर्माण** किया जाता है।
- **कुटीर उद्योग** वे उद्योग है, जिनका एक ही **परिवार** के **सदस्यों** द्वारा **पूर्ण** रूप से अथवा **आंशिक** रूप से **संचालन** किया जाता है।
- कच्चे माल की दृष्टि से कुटीर उद्योगों को **निम्न भागों में विभाजित** किया जा सकता है-
  - कृषि आधारित उद्योग
  - खनिजों पर आधारित उद्योग
  - पशु सम्पदा पर आधारित उद्योग
  - वनोपज पर आधारित उद्योग ।

तेल एवं वनस्पति घी उद्योग

- इस उद्योग का विकास राज्य के जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर, कोटा, बूँदी व अजमेर **जिलों** में **तिलहन का अधिक उत्पादन** होने के कारण हो रहा है।
- **घाणी** व मशीनों के द्वारा **तेल निकालने** का कार्य कुटीर व **लघु उद्योग** के रूप में किया जाता है।
- भरतपुर का **ईंजन छाप** सरसों तेल, जयपुर का वीर बालक छाप तेल **प्रसिद्ध ब्राण्ड** है। (Raj Police – 2007)
- **प्रसिद्ध प्रमुख केन्द्र** - जयपुर, निवाई, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ ।

बंधाई, छपाई और रंगाई उद्योग

- राज्य का बंधाई, छपाई और रंगाई उद्योग **देश भर में प्रसिद्ध** है।
- **लकड़ी के ठप्पों से वानस्पतिक व रासायनिक रंगों से कच्ची-पक्की रंगाई-छपाई** का कार्य बाड़मेर, बालोतरा, बगरू, साँगानेर, अकोला, सवाईमाधोपुर, नाथद्वारा, पाली, पीपाड़ व उदयपुर में होता है।
- बाड़मेर की **अजरख प्रिंट** व चित्तौडगढ़ की **जाजम छपाई** प्रसिद्ध है।
- जोधपुर में **बंधेज** एवं जयपुर में **लहंगा-चुन्नी का कार्य** अधिक होता है।

खादी उद्योग

- **खादी उद्योग** राज्य का **परम्परागत उद्योग** है।
- राज्य में **जयपुर**, **जोधपुर**, **दौसा**, **भरतपुर**, **कोटा** आदि जिलों में **आंशिक** व **पूर्णकालिक** रूप से यह **उद्योग** चालू है।
- राज्य में खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए **खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यरत** है।

कृषि आधारित अन्य कुटीर उद्योग

- **गोटा उद्योग** (अजमेर व जयपुर),
- **बेकरी** (जयपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर),
- **दाल** (गंगानगर, हनुमानगढ़),
- **मसाला** (अलवर)

पशु आधारित प्रमुख उद्योग

- राज्य में चमड़ा उद्योग, ऊनी उद्योग, दुग्ध उद्योग, हड्डी पाउडर उद्योग आदि पशु आधारित प्रमुख उद्योग है।
- **राज्य में ऊनी धागा बनाने की मिलें** बीकानेर, चूरू, लाडनूं व कोटा में संचालित है।

- **ऊनी खादी** में जैसलमेर की बरडी, बीकानेर के **ऊनी कम्बल, चौमू के खेस** प्रसिद्ध है।
- चमड़े की **मोजड़ी एवं जूतियाँ बनाने का कार्य** नागौर, सिरोही, भीनमाल, टोंक, जोधपुर व जयपुर में किया जाता है।

वनोपज पर आधारित उद्योग

- **बीड़ी उद्योग** (टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर)
- **माचिस उद्योग** (अजमेर, अलवर)
- **बॉस उद्योग** (जयपुर, अजमेर)
- **कत्था, गाँद व लाख उद्योग** (कोटा, बूँदी, झालावाड़, उदयपुर व चित्तौड़गढ़)
- **कागज उद्योग** (घोसुण्डा, सांगानेर)

खनिज आधारित उद्योग

- खनिज आधारित उद्योगों में **9 हजार से अधिक रजिस्टर्ड लघु औद्योगिक इकाईयाँ** राज्य में कार्यरत है।
- इनमें संगमरमर, ग्रेनाइट टाइल्स निर्माण एवं पोलिशिंग, ईंट निर्माण, पत्थर से गिट्टी निर्माण, सीमेंट जाली निर्माण, सेनेट्री बेयर्स, टाइल्स उद्योग, हीरा व जवाहरात कटिंग व पोलिशिंग, सोप स्टोन आदि आते हैं।
- संगमरमर के **खिलौने** व **मूर्तियाँ निर्माण** का कार्य **जयपुर**, **सिरोही**, **जैसलमेर**, **मकराना**, **किशनगढ़**, **अजमेर**, **राजसमंद** आदि जिलों में किया जाता है।

हथकरघा उद्योग

- राजस्थान में **हथकरघा उद्योग समृद्ध** स्थिति में है।
- राज्य में हथकरघा उद्योग द्वारा निर्मित विशिष्ट प्रकार के **वस्त्र उत्पादन में कुछ क्षेत्र प्रसिद्ध** है।
- प्रायः बुनकर इस कार्य को **राजस्थान** के **अनेक जिलों** में करते हैं।
- **ऊनी शॉल**, **कोटा डोरिया साड़ियाँ**, **खेस**, **दरियाँ**, **निवार** आदि का निर्माण **हथकरघा** से किया जाता है।
- **कृत्रिम रेशम (टसर)** का विकास कोटा, उदयपुर, बाँसवाड़ा जिलों में किया जा रहा है।
    - इसके लिए इन जिलों में **अर्जुन के पेड़** लगाये गये है।
    - इन वृक्षों पर तथा **शहतून** के **वृक्षों** पर **रेशम कीट** पालन किया जाता है।

क्र.सं.	हस्त शिल्प उद्योग	प्रसिद्ध स्थान
1.	डोरिया व मसूरिया साड़ियां	कोटा
2.	टुकड़ी	बालोतरा, फालना
3.	बंधेज साड़ियाँ	जोधपुर
4.	चूनरियाँ व लहरिया	जयपुर
5.	मिट्टी की मूर्तियाँ	मोलेला गाँव राजसमंद
6.	संगमरमर की मूर्तिया	जयपुर
7.	लकड़ी के खिलौने	उदयपुर, सवाई माधोपुर
8.	फड़ चित्रण	शाहपुरा
9.	कठपुतलियाँ	उदयपुर
10.	खेसला उद्योग	लेटा ग्राम,जालौर (Patwar -2011

प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योग

- **नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज, जयपुर-** यह विभिन्न प्रकार के **बाल-बियरिंग बनाने की देश की सबसे बड़ी** कम्पनी है।
- **सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर** (रेल के डिब्बे बनाने का कार्य)
- **केबल्स इण्डस्ट्री, कोटा तथा पिपलिया** (केबल निर्माण का कार्य)
- **हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड**, उदयपुर
- **जयपुर मेटल्स, जयपुर** (यह **बिजली के मीटर बनाने** की फैक्ट्री), फिलहान बन्द पड़ी है।
- **कैप्सटन मीटर कम्पनी**, **जयपुर व पाली** (**पानी के मीटर** बनाने का कार्य)
- **राजस्थान टेलीफोन इण्डस्ट्रीज,** भिवाड़ी, अलवर (टेलीफोन उपकरण निर्माण का कार्य)
- मान इण्डस्ट्रीज, जयपुर (इंजीनियरिंग सामान बनाने का कार्य)
- **अशोका लीलैंड कम्पनी**, **अलवर** (लीलैंड ट्रक के चेसिस)
- **अवन्ति स्कूटर्स, अलवर** (स्कूटर्स निर्माण उद्योग) (CET – 2023)
- इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (यन्त्रों व मशीनों का उत्पादन)
- पोद्दार पिगमेण्ट्स लिमिटेड सीतापुरा, जयपुर (पिगमेण्ट्स)
- **लोको एण्ड कैरिज वर्कशॉप, अजमेर** (इंजनों की मरम्मत व मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का कार्य)
- **हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर** (घड़ियाँ, ग्राइण्डिग मशीन व यन्त्र बनाने का कार्य)। (जेल प्रहरी – 2017)
- फेल्सपार संयंत्र, डूँगरपुर (इस्पात, फ्लोराइड, इस्पात के लिए फेल्सपार तैयार किया जाता है)।
- **मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, जयपुर** (लोहे के टावर व खिड़कियाँ बनाने का कार्य)।
- **वैगन फैक्ट्री, कोटा** (बड़ी लाइन के वेगन बनाने का कार्य)

रसायन एवं उर्वरक उद्योग

- **सोडियम सल्फेट कारखाना** - **डीडवाना में** राजस्थान सरकार **'राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना'** (डीडवाना कुचामन) के अन्तर्गत कार्यरत था, जो अब बन्द पड़ा है। (2nd Grade GK -2022)
- **RSMML एवं राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड (RCPL) ने मिलकर कपासन चित्तौड़गढ़** में **राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर** नाम से **डीएपी खाद** का कारखाना स्थापित किया है। (RAS -2007)
- **श्रीराम फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल लिमिटेड, कोटा** (School Lecture Phy Edu – 2022)
- **देबारी जिंक स्मेल्टर** (**उदयपुर**), यहाँ रासायनिक खाद का उत्पादन,
- **चम्बल फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज, गडेपान** (कोटा) (Raj Police 2020)